भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-9
उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

कम संक्रमण दर

†9. सुश्री इकरा चौधरी:
श्री मोहिब्बुल्लाह:
श्रीमती रूचि वीरा:
श्री जिया उर रहमान:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में जाने की कम दर और माध्यमिक स्तर पर, विशेष रूप से लड़कों में, स्कूल छोड़ने की उच्च दर के प्रमुख कारण क्या है;
(ख) इस समस्या के समाधाान और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इन कदमों का प्रतिधारण दर में सुधार पर क्या प्रभाव पड़ा है;
(ग) शिक्षा की गुणवत्ता, विशेष रूप से खराब शिक्षण परिणामों और बुनियादी ढांचे जैसे विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और माध्यमिक विद्यालयों में योग्य शिक्षकों, विशेष रूप से महिला शिक्षकों की नियुक्ति में सुधार के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार समग्र, अनुभवात्मक और कौशल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शिक्षा पाठ्यक्रम को संरेखित करने के लिए सुधारों पर विचार कर रही है ताकि स्कूल छोड़ने की दर कम हो और रोजगार क्षमता बढ़े; और
(ड.) क्या सरकार की देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के शामली, बिजनौर और मुरादाबाद जिलों में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से निपटने में राज्य सरकार को सहायता देने की कोई योजना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्कूल छोड़ने की दर को रोकने और संक्रमण दर में सुधार के

लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचाने गए स्कूल छोड़ने की दर के प्रमुख कारणों में प्रवासन, परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, बच्चों पर घरेलू जिम्मेदारियां, बच्चों की रुचि की कमी, बच्चों का खराब स्वास्थ्य आदि शामिल हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 में स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना, समग्र शिक्षा को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें प्री-स्कूल से लेकर कक्षा XII तक का पूरा दायरा शामिल है। यह योजना एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ भी अनुकूलित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे।

समग्र शिक्षा के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न उपायों के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जैसे अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुदान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, आईसीटी और डिजिटल पहलों के लिए सहायता, स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण आदि।

स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए, इस योजना में उच्च माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलने और उन्हें सुदृढ़ करने; स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण; कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन; नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना; निःशुल्क यूनिफार्म, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन एवं प्रतिधारण अभियान चलाने का प्रावधान शामिल है। यूडीआईएसई+ रिपोर्ट के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर प्रतिधारण दर वर्ष 2022-23 के 44.1% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 45.6% हो गई है।

इसके अलावा, इस योजना का एक प्रमुख लक्ष्य ओओएससी की संख्या को कम करना है। स्कूल न जाने वाले बच्चों के आयु-अनुरूप प्रवेश और आवासीय तथा गैर-आवासीय बड़े बच्चों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित, 16-19 वर्ष की आयु के स्कूल न जाने वाले बच्चों को एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने, पाठ्यक्रम सामग्री प्राप्त करने और प्रमाणीकरण के लिए प्रति वर्ष ₹2000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

योजना की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्र-उन्मुख प्रयासों के अंतर्गत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन के लिए वित्तीय सहायता, सहायक उपकरण, ब्रेल किट और पुस्तकें, उपयुक्त शिक्षण सामग्री और विकलांग छात्राओं को वित्तीय सहायता आदि प्रदान किया जाता है।

पीएम-पोषण योजना के तहत, प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर छात्रों के लिए विभाग द्वारा एक और पहल मिड-डे मील अपनाई गई है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने से रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एनसीईआरटी द्वारा तैयार आधारभूत अध्ययन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) को क्रमशः दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 और दिनांक 23 अगस्त, 2023 को जारी किया।

एनसीएफ-एफएस भारत में 3-8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अब तक का पहला एकीकृत पाठ्यचर्या ढाँचा है। यह स्कूली शिक्षा के लिए एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तुत 5+3+3+4 'पाठ्यचर्या और शैक्षणिक' ढाँचे का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसके बाद, एनसीएफ एफएस पर आधारित जादुई पिटाराः शिक्षण सामग्री (जादुई पिटारा) भी लॉन्च की गई है। यह 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए तैयार की गई एक खेल-आधारित शिक्षण सामग्री है।

एनसीएफ-एसई, 2023 के तहत छात्रों को शैक्षणिक और व्यावसायिक दोनों विकल्पों पर विचार करते हुए, अपने शैक्षिक और करियर अवसरों के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए व्यापक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। यह समग्र विकास के महत्व पर ज़ोर देता है और यह स्वीकार करता है कि शैक्षणिक और व्यावसायिक कौशल, दोनों ही एक सर्वांगीण शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह शिक्षा के प्रारंभिक, आधारभूत, मध्य और माध्यमिक स्तरों पर व्यावसायिक तत्वों की परस्पर निर्भरता पर ज़ोर देने के लिए उन्हें शैक्षणिक विषयों में एकीकृत करने के तरीके सुझाता है। एनसीएफएसई के तहत एक अंतर विषयक पाठ्यक्रम तैयार करने की रूपरेखा भी प्रदान की जाती है जो पारंपरिक शैक्षणिक विषयों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ जोड़ता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई है और इसमें शिक्षकों की पर्याप्त भर्ती और तर्कसंगत तैनाती के लिए सिफ़ारिशें की गई हैं, जिनमें एक स्कूल या स्कूल परिसर में भर्ती और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा अपनाए गए स्कूलों के समूहीकरण के माध्यम से विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति शामिल है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक निश्चित कैलेंडर के अनुसार शिक्षकों की वार्षिक भर्ती की प्रणाली अपनाकर शिक्षक भर्ती योजना तैयार करने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार, केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामली, बिजनौर और मुरादाबाद जिलों के लिए स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयोजित प्रतियोगी चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक रिक्तियों को भरने की प्रगति, स्थिरता और शुचिता के लिए उचित देखभाल के साथ और प्रौद्योगिकी आधारित व्यापक शिक्षक आवश्यकता नियोजन और पूर्वानुमान कार्य के बाद, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इस योजना के तहत शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों, विषय शिक्षकों, संसाधन व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों, शिक्षा प्रशासकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, एससीईआरटी और डीआईईटी के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नव नियुक्त शिक्षकों के अभिप्रेरण प्रशिक्षण के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

*****